राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 30/2017 एवं 31/2017.....जिला.....जयपुर.....

मैसर्स बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटेलिटी लि0, आश्रम मार्ग, जयपुर बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, जयपुर 2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

20/1/2017

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विमल आचार्य एवं विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

यह दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों में से शेष बकाया राशि रूपयों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह दोनों अपीलें अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

अपील सं.	अवधि	अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित शास्ति राशि	राशि जिस हेतु स्थगन चाहा गया
1	2	3	4	5
30/2017	14–15	9,83,460	6,22,446	3,61,014
31/2017	15–16	1,78,70,320	1,15,29,234	63,41,086

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2016 आंशिक रूप से स्वीकार की गई एवं शेष राशि को स्थगित नहीं करने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेशों में अंकित नहीं किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। अपीलार्थी के द्वारा अपने रेस्टोरेन्ट में ग्राहक के आदेश पर उसकी इच्छा के अनुसार भोजन तैयार कर, परोसा जाता है, जो कि फास्ट फूड से भिन्न है। उक्त पकाया हुआ भोजन वेट अधिनियम की कर दर अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 202 से आच्छादित होने के कारण 5 प्रतिशत की दर से करयोग्य है। अतः मांग राशियों के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशियों (उपरोक्त तालिकानुसार कॉलम संख्या 5) की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।

20/01/17

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 30/2017 एवं 31/2017.....जिला.....जयपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/1/2017	विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित बिन्दु अपीलार्थी, जो कि ब्रांडेड चेन रेस्टोरेन्ट है, के द्वारा अपने रेस्टोरेन्ट में बिक्रीत पके हुये भोजन पर देय कर दर के निर्ववचन से संबंधित है। अतः प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाते हैं। दोनों अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। 20/01/17 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 20.1.2017 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	